[k.M% 3] vad% 1 tuojh 2020

संश्लेषण

डी सी आर सी हिन्दी मासिक पत्रिका

राष्ट्रीय नागरिक पंजिका: विचार, विमर्श एवं विवाद

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक
प्रो. सुनील के चौधरी

संपादक
डा. रमेश भारद्वाज
नागेन्द्र कुमार
शरद कुमार यादव

संपादकीय मंडल
डा. अभिषेक नाथ
कुँवर प्रांजल सिंह
आशीष कुमार शुक्ल

© डीसीआरसी 2020

रूपाकंनः आर किशोर

संश्लेषण

राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः विचार, विमर्श एवं विवाद

अनुक्रमिका

सम्पादकीय i-ii

1. राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः न्यूनतम संवाद एवं अधिकतम विवाद 1–4
– डॉ० अभिषेक नाथ

2. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019: मानवीय एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 5–7
– डॉ० मनीषा पांडेय

3. नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में प्रमुख भूमिका में असम 8–10
– काजल

4. राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः असम के विशेष संदर्भ में – राम किशोर 12–14

5. राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः नागरिक या नागरिकता का नामाकंन – गरिमा शर्मा 15–17

6. राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः राष्ट्रीय चिन्तन अथवा धार्मिक विमर्श – रजनी 18–20

7. राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः आवश्यकता अथवा राजनीति – नरेन्द्र कुमार 21–23

8. राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः एक विमर्श – विजय प्रकाश सिंह 24–26

9. राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः एक विचारात्मक विमर्श – मोहिनी मित्तल 27–29

10. संशोधित नागरिकता अधिनियम व राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः संदेह का मिथ्याभ्रम
– सृष्टि 30–33

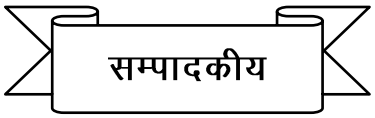

सम्पादकीय

अत्याधिक प्रसन्नता एवं हर्ष सहित हम विकासशील राज्य शोध केन्द्र, दिल्लो विश्वविद्यालय की हिन्दी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के वर्ष 2020 के इस प्रथम अंक को प्रकाशित कर रहे हैं। प्रत्येक माह की ज्वलंत वास्तविकता एवं समसामयिकता को हम संश्लेषण के नवीन अंक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। समस्त शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों के लेखों द्वारा प्रस्तुत संश्लेषण का यह अठाहरवां अंक सभी पाठकों को प्रेषित किया जा रहा है।

वर्ष 2020 का शुभारंभ समस्त भारत में एक बार पुनः राष्ट्रीय नागरिक पंजिका अर्थात् एनआरसी पर केन्द्रित रहा। संसद द्वारा नागरिक संशोधन अधिनियम पारित होने के पश्चात विपक्षीय दलों ने राष्ट्रीय नागरिक पंजिका को वाद–विमर्श के केन्द्र में रखा। संसद में केन्द्रिय गृह मंत्री श्री अमित शाह के उस व्यक्तव को विरुपित करने का प्रयास किया गया जिसमें उन्होंने एनआरसी को पूर्णरुपेण कार्यान्वित करने पर बल दिया था। एनआरसी को नागरिकता बहिष्कृत तथा अल्पसंख्यक विरोधी नीति के रुप में विपक्ष ने पुरजोर प्रसारित करने का प्रयास किया। जनसंग्रह संचार माध्यम अर्थात् सोशियल मीडिया पर एनआरसी को विरोधियों ने एक भयावह आलेख के रुप में प्रस्तुत किया जिससे भारत की बहुसांस्कृतिक छवि को अत्याधिक ठेस पहुंचे तथा भारत वैश्विक मानचित्र पर एक अल्पसंख्यक–विरोधी राष्ट्र के रुप में प्रदर्शित किया जा सके।

विषय की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने 'राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः विचार, विमर्श एवं विवाद' विषय पर लेख आमंत्रित किये। दस उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख राष्ट्रीय नागरिक पंजिका पर विविध विचारों, विमर्शो एवं विवादों को प्रस्तुत करने का एक सदाशय प्रयास है जिससे एक संतुलित एवं श्रेष्ठ समाधान की पहल की प्राप्ति की हो सके।

संश्लेषण के इस अंक के समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन से संबंधित आधारभूत बिंदुओं को भी प्रकट करते हैं। लेखकों के विचार स्वतंत्र चिंतन के परिचायक हैं तथा सम्पादकीय मंडल ने इनकी मौलिकता को संपादन के माध्यम

से किसी भी प्रकार प्रभावित व परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया है। व्यक्तिगत लेखों में प्रस्तुत तथ्य एवं मत लेखकों की रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदशित करत हैं।

वर्ष 2020 के संश्लेषण के इस जनवरी माह के प्रथम अंक में प्रकाशित लेखों पर पाठकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही हम फरवरी माह के अपने दूसरे समसामयिक तथा महत्वपूर्ण अंक में और अधिक गुणवत्ता लाने का प्रयास करेंगे।

संपादक मंडल

शुक्रवार, 14 फरवरी 2020

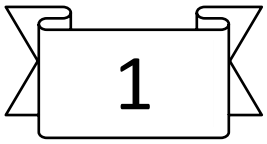

राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः न्यूनतम संवाद, अधिकतम विवाद

डॉ० अभिषेक नाथ

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, एम.एल.टी. महाविद्यालय, सहरसा, बी.एन.एम.यू, बिहार

यह कहना गलत नहीं होगा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) या राष्ट्रीय भारतीय नागरिक रजिस्टर (एनआरआईसी) की नीति भारतीय नागरिकों के बीच कम संवाद के कारण ज्यादा शंकाओं और विवादों से ग्रस्त हो गई है। एनआरसी पर इस स्थिति को समझने से पहले हमें किसी राज्यध्देश की सीमाओं के भीतर रह रही जनसँख्या के आंकड़ों को जुटाने से संबंधित दो अन्य प्रक्रियाओं को समझाना होगा। यह इसलिए भी आवश्यक है कि एनआरसी को इन दो प्रक्रियाओं के साथ मिला कर देखने का प्रयास किया जा रहा है। कई बार इसे अन्य दो प्रक्रियाओं के बाद तीसरे चरण के रूप में भी देखा जा रहा है।

जनसँख्या के आंकड़ों को जुटाने से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जनगणना (सेन्सस)। जनगणना जिसकी प्रक्रिया सर्वप्रथम ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के द्वारा 1872 में शुरू की गई और 1881 की जनगणना के बाद हर दस वर्ष पर संपन्न होती है और यह आजादी के बाद भी निर्बाध रूप से जारी है। जनगणना किसी समय पर देश की सीमाओं के भीतर रह रहे सभी व्यक्तियों की गणना है जिसमे नागरिक और गैर–नागरिक दोनों हो सकते है। इसके तहत व्यक्तिओं की संख्या, उनकी आयु, जन्म स्थान, लिंग, जाति, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय और तात्कालिक निवास स्थान पर रहने की अवधि आदि की जानकारी जुटाई जाती ह। यह वैज्ञानिक प्रक्रिया विश्व के सभी देशों में अपनाई जाती है जिसके आंकड़ों का प्रयोग जनांकिकी अध्ययन में और सरकारी नीतियों के क्रियान्वन में किया जाता है। भारत में भी यह प्रक्रिया हर दस वर्ष पर संपन्न होती है, यद्यपि पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या और प्रारूप जरुर बदलता रहता है।

राष्ट्रीय जनसँख्या के बारे में जानकारी जुटाने सम्बन्धी दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है राष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर (एनपीआर)। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता (नागरिकों का नामांकन और पहचान पत्र जारी करने) कानून 2003, भारत में रह रहे सामान्य निवासियों का एक जनसँख्या रजिस्टर तैयार करने को अधिशासित करता है। एनपीआर के सन्दर्भ में एक

सामान्य निवासी से तात्पर्य वैसे व्यक्ति से है जो स्थानीय क्षेत्र में 6 महीने से निवास कर रहा है या अगले 6 महीने तक निवास करेगा। यह डाटाबेस निवासिओं की जनानान्कीय और बायोमीट्रिक जानकारी का धारण करेगा। एनपीआर के लिए सर्वप्रथम यह डाटा 2010 में संगृहीत किया गया और 2015 में पुनः घर–घर जाकर सर्वे के द्वारा इसे अद्यतन किया गया। असम को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में इस कार्यवाही को पूरा किया जा चुका है। अप्रैल 2020 से यह प्रक्रिया पुनः शुरू होगी जो सितम्बर 2020 में पूरी होगी।

एनपीआर में लोगों द्वारा दी गई जानकारी को स्वतः–प्रमाणित माना जायेगा और किसी तरह के प्रमाण–पत्र की जरुरत नहीं होगी। एनपीआर की उपयोगिता सरकारी कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों की पहचान और लाभार्थी केन्द्रित योजनायें बनाने में है। उदाहरण के लिए इससे दिल्ली में रहने वाले ऐसे लाखों शहरी गरीबों की पहचान होगी जो दिल्ली की जनसँख्या के स्थायी निवासी नहीं है और उनके लिए कल्याण की योजनायें बनायीं जा सकती है।

जहाँ तक राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) का प्रश्न है तो जनगणना और एनपीआर से अलग यह भारतीय नागरिकों का डाटाबेस है जिसमे गैर–नागरिक शामिल नहीं होंगे। यह प्रक्रिया नागरिकों से उनकी नागरिकता को स्थापित करने वाले पहचान पत्र की मांग करता है और जो निवासी ऐसे साक्ष्य देने में असफल होंगे उन्हें एक न्यायोचित प्रक्रिया के बाद भारतीय सीमा से बाहर अपने मूल देश में वापस जाना पड़ेगा। अतः एनआरसी एनपीआर और जनगणना से बिल्कुल अलग उद्देश्य रखने वाली प्रक्रिया है तथा जनगणना और एनपीआर से सम्बंधित किसी विवाद का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता।

सर्वप्रथम असम में एनआरसी की मांग की गई जिसके पीछे उद्दश्य पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश 1971 के बाद) से आये अवैध प्रवासिओं की पहचान करना है। असम में ज्यादतर उन्ही राजनीतिक दलों को स्थानीय जनता का समर्थन मिलता रहा है जो अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निष्कासित करने का संकल्प करती रही है। लेकिन वास्तविक अर्थों में इसका क्रियान्वन पूर्व की सरकारों (केंद्र या राज्य) के द्वारा नहीं किया गया। असम अकोर्ड 1985 और अवैध प्रवासी (प्रधिकरण द्वारा पहचान) 1984, यद्यपि इसी उद्देश्य के लिए अस्तित्व में आए लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर सके बल्कि यह भी आरोप लगे कि इसने अवैध प्रवासियों को संरक्षण प्रदान किया। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दक्षिणपंथी सरकार के सत्तारूढ़ होने के साथ एनआरसी की प्रक्रिया में तेजी आई। सुप्रीम कोर्ट के 2013 के आदेश के आलोक में 33

मिलियन असमी लोगों को 24 मार्च 1971 से पूर्व भारत में अपनी नागरिकता को सिद्ध करना था। असम में एनआरसी के अंतिम आंकड़े 31 अगस्त 2019 को जारी किये गए जिसके तहत 19,06,657 लोगों को इस सूची से बाहर कर दिया गया। यदपि इनके पास अभी न्यायिक अधिकार शेष है किन्तु महतवपूर्ण यह है कि इस आबादी का बहुसंख्यक भाग हिन्दू अवैध प्रवासियों का है। जहाँ स्थानीय असमी लोगों के लिए एक अवैध प्रवासी केवल अवैध प्रवासी है हिन्दू या मुस्लिम नहीं, वही विभिन्न राजनीतिक दलों का इस पर अलग नजरिया है जो वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। शायद यही कारण है की नागरिकता संसोधन कानून 12 दिसंबर 2019 को पारित और 10 जनवरी 2020 से लागू किया गया जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने की बात की है। जाहिर है इसमें मुस्लिम शामिल नहीं क्योंकि इन देशों में वे बहुसंख्यक है।

हिन्दू अवैध प्रवासिओं को नागरिकता देने वाले इस कानून के कारण इसका विरोध असम में हो रहा है वही मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं करने के कारण अन्य राजनीतिक दलों और मुस्लिम समुदाय द्वारा। शायद असम में एनआरसी को शीघ्रता से पूर्ण करने वालों को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि पूर्वी पकिस्तान आर बांग्लादेश की आबादी की लगभग 18 प्रतिशत हिन्दू थी जो कम हो कर 5 प्रतिशत रह गई है अतः स्वाभाविक है कि इन अवैध प्रवासिओं का एक बहुसंख्यक हिस्सा हिन्दू शरणार्थियो का है जिनकी पहचान भी अवैध प्रवासी के रूप में की जाएगी क्योंकि सीएए जैसा कानून पहले नहीं था जो उनकी नागरिकता की बात करता। लेकिन अब ये मामला खुले तौर पर अवैध प्रवासियों के बीच भेदभाव का मामला बन जाता है जिसे उचित ठहराना आसान नहीं है।

उपरोक्त घटनाक्रमों ने भारतीय जनता और खासकर अल्पसंख्यकों के मन में एक संदेह को जन्म दिया है जिसका फायदा क्षुद्र राजनीतिक हितों और विघटनकारी तत्वों ने उठाया है जिसकी परिणति सीएए, एनपीआर और एनआरसी के विरोध के रूप में सामने आया है। आश्चर्य नहीं होगा जब जनगणना की प्रक्रिया जो 2021 में शुरू होगी अल्पसंख्यक समुदाय उसका भी विरोध करेगा।

काफी हद तक यह सारा मसला कुछ तो राजनीतिक गलत–आकलन और कुछ हद तक संवाद हीनता का परिणाम है जिसने विवादों को बढ़ावा दिया है। चाहे कोई मुस्लिम हो या हिन्दू वे इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि यदि कोई उनके घर में घुस कर बैठ जाए और जाने से

इंकार कर दे तो वे उसे किसी भी तरह निकलना चाहेंगे। लेकिन यह भी शोचनीय है की जिसे आप बाहर निकल रहे है उसे उसके घर में वापस लेने वाला भी तो होना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार हमेशा ही ऐसे किसी घुषपैठ से इंकार करता रहा है, फिर आप इन लोगों को भेजेंगे कहाँ ? एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 2 करोड़ अवैध प्रवासी भारत में रह रहे है। इन 2 करोड़ की पहचान के लिए 137 करोड़ (29 फरवरी 2020 को भारत की जनसँख्या) लोगों की नागरिकता को सन्देह में डालना कहाँ तक उचित है। जहाँ केवल असम में बड़े पैमाने पर धन, समय और मानव संसाधन इस कार्य में लगाना पड़ा, पुरे देश में ऐसी प्रक्रिया का कौन समर्थन कर सकता है। इससे कम खर्च और विवाद में पड़े हम अवैध प्रवासियों को स्वतः घोषणा का मौका देकर, उन्हें बिना वोट के भारत में रहने के अधिकार देने के घोषणा के द्वारा भी उन्हें सामने लाया जा सकता था क्योंकि ये वो लोग है जो किसी विलासतापूर्ण जीवन के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन गुजर बसर करने के लिए अपनी जीवन को दांव लगाकर भी सीमा पर करना चाहते है। शायद विभिन्न समुदायों और हितों के बीच एक ज्यादा स्वस्थ संवाद जो लोकतंत्र की आधारशिला है ऐसे मुद्दों का ज्यादा उचित तरीके से सुलझा सकता है।

♦♦♦♦♦

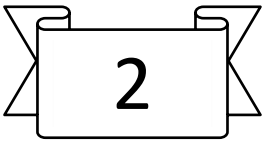

नागरिकता संशोधन कानून 2019: मानवीय और एतिहासिक परिप्रेक्ष्य

डॉ० मनीषा पांडेय

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विभाग, हिन्दू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

राज्यसभा और लोकसभा में अधिनियम के पारित होने के बाद नागरिकता संशोधन कानून 2019 भारत में अब लागू हो गया है। इस कानून के द्वारा धार्मिक आधार पर हुए भारत के विभाजन के अकल्पनीय विपरीत प्रभावों और उसकी पीड़ाओं को सह रहे लोगों को कुछ राहत मिलने की आशा है। विभाजन के बाद पाकिस्तान (और उसी से बने बांग्लादेश) के गैर मुस्लिमों ने भारत जैसे संविधान की अपेक्षा की थी परन्तु उन्हें एक मुस्लिम राष्ट्र में इस्लामिक कानून के तहत रहने को विवश होना पड़ा। इस्लामिक कानून के तहत इन देशों के गैर मुस्लिमों को दूसरे और तीसरे दर्जे की नागरिकता के साथ रहने के लिए छोड़ दिया गया जबकि स्वतंत्रता की लड़ाई में इनकी भागीदारी भारत के समान थी।

देश का विभाजन इन समुदायों के लिए स्वतंत्रता के नाम पर एक धोखा ही था जिसमें इन्हें इनकी मर्जी के खिलाफ अंग्रेजों के शासन काल से भी बद्तर काल में रहने के लिए छोड़ दिया गया। पाकिस्तान ने पहले तो भारत की तरह ही धर्मनिरपेक्ष रहने की बात की और वहां के गैर मुस्लिमों को भेदभाव ना करने का भरोसा दिया परन्तु बाद में खुद को एक मुस्लिम देश घोषित कर दिया। विडंबना यह है कि एक तो भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारों ने इन पर विभाजन थोप दिया और दूसरी ओर उस समय के पाकिस्तान सरकार द्वारा किया गया वचन इनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जायेगा। कुछ ही वर्षों में पूरी तरह से झूठा साबित हो गया। पाकिस्तान से आजादी मिलने के बाद पूर्वी पाकिस्तान जब नए रूप में आकर बांग्लादेश बना तो गैर मुस्लिमों की उम्मीदों पर फिर से कुठाराघात हुआ जब बांग्लादेश ने भी अपने आप को एक मुस्लिम देश घोषित कर दिया। इस्लामिक कानून के तहत वहां रह रहे गैर मुस्लिम बराबरी के हक से फिर से वंचित हो गए।

ऐतिहसिक परिप्रेक्ष्य में यह सत्य है कि भारत के विभाजन से पूर्व पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों के पास भारत की ही नागरिकता थी। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान पहले तो सभी नेताओं ने इन्हें

आश्वस्त भी किया था कि किसी भी कीमत पर विभाजन नहीं होगा। महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा था कि विभाजन उनकी लाश पर ही संभव होगा। हालांकि इस सबके बाद भी धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया। इसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर जो भी गैर मुस्लिम समर्थ थे वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आने लगे। जो लोग अफगानिस्तान सीमा के करीब थे वो लोग अफगानिस्तान में ही शरणार्थी बनकर चले गए। मगर अफगानिस्तान में तालिबानी काल में पाकिस्तानी प्रभाव में ये लोग वहां भी प्रताड़ित होने लगे। वैसे बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर ने तो आर्थिक रूप से असमर्थ, पिछड़े और दलित हिन्दूओं को सचेत भी किया था कि पाकिस्तान जिन मूल्यों पर बन रहा है उन मूल्यों की वजह से उस देश में गैर मुस्लिम हमेशा प्रताड़ित ही होते रहेंगे। उन्होंने असमर्थ, पिछड़े और दलित हिन्दुओं से किसी भी तरह भारत आने की अपील की थी क्यूंकि उन्हें पता था कि उन सबका हित सिर्फ भारत में ही सुरक्षित रह पाएगा। मगर इसके बावजूद भी जो लोग अपनी असमर्थता की वजह से वहीं रह गए उन्हें एक मुस्लिम देश में रहने की पीड़ा सहनी पड़ी।

उसी दौरान लियाकत–नेहरू समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान ने यह विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ कोई भी भेद भाव नहीं किया जाएगा इसीलिए उन्हें पाकिस्तान छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। इस समझौते के बाद तो गैर मुस्लिमों को भारत आने से भी रोका तक जाने लगा। मगर अब लगता है कि लियाकत–नेहरू समझौता पाकिस्तान की एक चाल थी क्यूंकि उसे एक इस्लामिक देश के तार पर शोषण करने के लिए पिछड़े और दलित हिन्दूओं की आवश्यकता थी। ये असमर्थ और दलित वर्ग पाकिस्तान में शोषण और प्रताड़ना का शिकार होते रहे और कालांतर में किसी बहाने से या फिर किसी और प्रकार से भाग कर भारत आते रहे।

आज ये शरणार्थी किसी भी हालत में वापिस पाकिस्तान जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस कानून के द्वारा इन्हीं पीड़ितों और लाचार अल्पसंख्यकों को, जो विभाजन से पहले भी भारत के ही नागरिक थे, फिर से भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। सरकार को यह ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि इस कानून की वजह से किसी एक प्रांत या क्षेत्र पर शरणार्थियों का अतिरिक्त भार ना पड़े जिससे कि वहां के स्थानीय लोगों की सभ्यता या जीवन शैली पर उसका प्रतिकूल पड़ने लगे।

धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए इन शरणार्थियों के पक्ष में समय समय पर लोकसभा और राज्यसभा में सवाल भी उठते रहे हैं। इनके पक्ष में पिछले वर्षों में वामपंथी पार्टियों और भाजपा के नेताओं के अलावा कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा बढ़चढ़कर इनको नागरिकता देने की वकालत की थी। इसी वजह से राज्यसभा में भाजपा के अल्पमत होने पर भी ये विधेयक सुगमता से पारित हो पाया। मगर कोरे राजनीतिक कारणों से आज भाजपा और उसका समर्थन कर रही पार्टियों को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। लेकिन राजनीति से परे हटकर सिर्फ मानवीयता क आधार पर जिस तरह से सरकार इस कानून को लागू करने में अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन कर रही है यह सराहनीय तो है ही मगर देश में आने वाली कई पीढ़ियां मानवीय मूल्यों की रक्षा हेतु इस ऐतहासिक कदम के लिए इस सरकार के साहस की प्रशंसा आगे भी करती रहेगी।

♦♦♦♦♦

3

नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में प्रमुख भूमिका में असम

काजल

शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

नागरिकता संशोधन कानून के प्रति विरोध प्रदर्शन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों कारणों से हो रहा है। एक ओर इस कानून को धार्मिक भेदभाव पर आधारित एवं असंवैधानिक बताया जा रहा है वहीं दूसरी ओर मेघालय, मिजोरम और मणिपुर में इस कानून को सांस्कृतिक पहचान पर संकटपूर्ण माना जा रहा है। परन्तु धीरे–धीरे इस कानून का विरोध असम में इतना भीषण हो गया है, कि इसने 1980 के दशक की विरोधी भावना को पुनः जागृत कर दिया। यह अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई आप्रवासियों के लिए जो भारत में बिना प्रलेखन के रहते हैं। उनके लिए अप्रवासी शब्द की परिभाषा में संशोधन करने हेतु है कि उन्हें 6 वर्ष के अंतर्गत भारतीय नागरिकता दी जाये। यह कानून उन लोगों पर लागू होता है जो धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने के लिए विवश थे। इस कानून का उद्देश्य ऐसे उत्पीड़ित लोगों को अवैध प्रवास की कार्यवाही से सुरक्षित करना है। नागरिकता के लिए कट–ऑफ की दिनांक 31 दिसंबर, 2014 है, जिसका अर्थ है कि आवेदक इस दिनांक को व् इससे पहले भारत में प्रवेश कर चुका हो। भारतीय नागरिकता, वर्तमान कानून के अंतर्गत, या तो भारत में जन्मे व्यक्तियों को दी जाती है या किसी व्यक्ति के देश में न्यूनतम 11 वर्षों तक के निवास के आधार पर दी जाती है।

असम में सीएए विरोध का मुख्य कारण

बंगाली भाषी वर्चस्व वाली बराक घाटी के अतिरिक्त, अन्य भागों में लोगों को भय है कि सीएए बांग्लादेश से आये लाखों हिंदू स्वदेशी समुदायों को नष्ट कर देंगे, संसाधनों पर बोझ आ जाएगा और उनकी भाषा, संस्कृति और परंपरा पर संकट उत्पन्न होगा। सीएए की 2014 की कट–ऑफ की दिनांक के लिए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि असम ने 1951 से 1971 तक अप्रवासियों के कारण उत्पन्न हुए दुष्प्रभावों को सहन किया है, जबकि अन्य राज्यों ने ऐसा नहीं किया, और अब राज्य पर अधिक बोझ बढ़ाना व आरोप लगाना अनुचित है। 1979 में मंगलदोई

क लोकसभा उपचुनावों में मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि से यह संदेह उत्पन्न हुआ कि यह अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की अन्तर्वाह के कारण था। जिस कारण बड़े पैमाने पर हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया गया। जिसके पश्चात 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद यह हिंसा समाप्त हो गई थी। असम के प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट रूप से इस कानून को असम समझौते का उल्लंघन बताया है। इस समझौते के अंतर्गत विदेशियों की पहचान करने व उनके निर्वासन की दिनांक 25 मार्च 1971 निर्धारित की गयी। जबकि अन्य राज्यों के लिए यह 1951 थी। परन्तु सीएए में अब नई सीमा दिनांक 2014 है, इस कारण इस कानून को समझौते का उल्लंघन माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त विदेशियों की पहचान और निर्वासन करने के लिए द नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन्स (एनआरसी) असम समझौते में किया गया एक अन्य वादा था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सीएए एनआरसी को गैरकानूनी प्रवासियों पर निरर्थक और सर्वश्रेष्ठ नागरिकता देगा। हालांकि, असम गण परिषद का कहना है कि असम समझौते के उपखंड 6 में सी.ए.बी. के प्रतिकूल प्रभाव से असम का अपमान होगा। इनर लाइन परमिट (आईएलपी), बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए प्रारम्भ की गई प्रणाली है। जिसके अंतर्गत घोषित क्षेत्रों से बाहर रहने वाले लोग केवल परमिट होने पर ही स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। वे आईएलपी के साथ भी घोषित क्षेत्रों में बस नहीं सकते। परन्तु प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब इस व्यवस्था का उपयोग कुछ क्षेत्रों को सीएए के दायरे से बचाने के लिए किया जा रहा है।

सीएए एवं असम : प्रवाद एवं भ्रांति

सीएए के प्रति यह विरोध केवल पहचान एवं संस्कृति को खो देने या समझौते के उल्लंघन के भय से नहीं है। इस कानून के प्रति प्रारम्भ से ही बहुत सी भ्रांतियां रही है जिस कारण लोगों में क्रोध बढ़ा। यदि राजनीतिक रूप से देखा जाए तो यह विद्रोह मुख्यतः भ्रान्ति के आधार पर उत्पन्न किया गया है। विद्रोह की शुरुआत में कुछ लोगो का कहना था कि सीएए के माध्यम से करोड़ की संख्या में अप्रवासी उनके राज्य में आएंगे जिस कारण उनकी नौकरियों एवं सांस्कृतिक पहचान पर असर पड़ेगा परन्तु असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे भ्रामक बताते हुए कहा है कि कुछ विध्वंसक तत्वों द्वारा सीएए पर गलत कथन से असम में हिंसा हुई है। असम सरकार का कहना है कि यह एक नकली प्रोपेगंडा है जिसके द्वारा यह गलत प्रचार किया जा रहा है कि सीएए बांग्लादेश में वर्तमान में रह रहे 1.5 करोड़ हिंदुओं को नागरिकता प्रदान करेगा, जिसको रोकने के लिए सरकार द्वारा असम में इंटरनेट सुविधाओं को बंद कराया गया।

क्या सीएए 2019 असम को भौगोलिक रूप से प्रभावित करेगा?

एक बात ध्यान देने वाली है कि पिछले 100 वर्षों में (दो पीढ़ी से कम समय में), असम के स्वदेशी लोग राज्य के कई जिलों में अल्पसंख्यक हो गए हैं। इसी भावना के साथ यह लोग सीएए के विरोध में खड़े हैं। वे अपनी सदियों पुरानी मातृभूमि में अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं। परन्तु यह बात भी सत्य है कि सीएए का असम की जनसांख्यिकीय संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनके कारण निम्नलिखित हैंः जिन करोड़ संख्या की बात की जा रही है वह मात्रा 5 लाख है और 1901 के असम में धर्म द्वारा जनसंख्या की प्रवृत्ति की जनगणना–आधारित विश्लेषण से भी यही पता चलता है कि 1951 के बाद असम में कुल प्रवासियों में से लगभग 10–15 प्रतिशत ही हिंदू बांग्लादेशी हैं। जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण असम के विभिन्न जिलों में पाए गए स्थानीय अनुभवों द्वारा समर्थित है। असम के सभी जिलों में, 1971 के बाद बंगाली हिंदू गाँव या तो सांख्यिकीय रूप से स्थिर हैं या कम हो गए हैं। प्रदर्शन के नेताओं का दावा है कि 1.9 करोड़ से 2.5 करोड़ हिंदू बांग्लादेशी असम आएंगे। यह साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। वास्तव में, वर्तमान में बांग्लादेश में कुल हिंदू आबादी 1.4 करोड़ है, जो आंदोलन करने वाले नेताओं की परियोजना असम की तुलना में बहुत कम है।

सीएए कि विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोग कौन हैं?

इसमें तीन प्रकार कि लोग शामिल हैंः–प्रदर्शनकारियों का एक समूह स्वदेशी असमी है जो कोई भी बांग्लादेशी अप्रवासी, हिंदू या मुसलमान नहीं चाहते हैं। वे राज्य के जनसांख्यिकीय, सामाजिक–सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना के परिवर्तन को लेकर किसी भी प्रकार का कानून नहीं चाहते। उदार बुद्धिजीवियों का एक समूह जो अप्रवासियों के धर्म के अनुसार चयनात्मक विरोध करता है, जिनका मानना है कि हिंदू बांग्लादेशी विदेशी भाषा संरचना को बदल देंगे, लेकिन मुस्लिम बांग्लादेशी विदेशी असमी भाषा की रक्षा करेंगे। यह समूह इस सिद्धांत का प्रचार कर रहा है कि 1.9 करोड़ (कुछ समय 2.5 करोड़) हिंदू बांग्लादेशी असम आएंगे और असमी पहचान मिटा देंगे। एक अन्य समूह जो मुस्लिम अप्रवासियों को स्वीकार किए जाने पर सीएए को स्वीकार करने में प्रसन्न है। अंततः अंतिम दो समूह सीएए के खिलाफ तीव्र आंदोलन करने के लिए पहले समूह की भावनाओं का उपयोग कर रहे हैं। अंतिम दो स्वरों को पहले स्वर के साथ मिलाया गया है, जिससे सीएए का विरोध तीव्र हो गया है।

♦♦♦♦♦

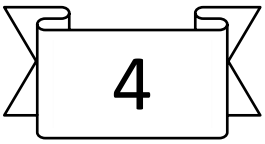

राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः असम के विशेष संदर्भ में

राम किशोर

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

नागरिकता अधिनियम, 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने, इसके निर्धारण एवं समाप्त करने क संबंध में एक विस्तृत अधिनियम है। इस अधिनियम में वर्ष 2019 से पूर्व पाँच बार संशोधन (वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005 एवं 2015 में) किया जा चुका है। नवीनतम नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के पश्चात् इस अधिनियम में बांग्लादेश, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के छः अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख) से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार पूर्व में हुए संशोधनों में भी नागरिकता दिए जाने की शर्तों में कुछ अल्पतम परिवर्तन किए जाते रहे हं।

भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार कुछ प्रावधानों के अंतर्गत भारत की नागरिकता ली जा सकती हैः–

1. जन्म से नागरिकता
2. वंशानुक्रम अथवा रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता
3. पंजीकरण के द्वारा नागरिकता
4. भूमि–विस्तार के द्वारा नागरिकता
5. प्रकृति (नेचुरलाइजेशन) के आधार पर नागरिकता

नागरिकता की समाप्तिः नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा–9 में किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने का भी प्रावधान किया गया हैः– किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता तीन आधारों पर समाप्त हो सकती है।

(क) यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। (ख) यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा

से अपनी नागरिकता का त्याग कर दे तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। (ग) भारत सरकार को भी निम्न शर्तों के आधार पर अपने नागरिकों की नागरिकता समाप्त करने का अधिकार है:–

नागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो।
यदि ये साबित हो जाए कि व्यक्ति ने अवैध तरीक से भारतीय नागरिकता प्राप्त की है।
यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हो।
यदि व्यक्ति भारतीय संविधान का अनादर करे।
राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका (एन.आर.सी.)

राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका (एन.आर.सी.) से यह पता चलता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं, जिन व्यक्तियों के नाम राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका में शामिल नहीं होते हैं, उन्हें अवैध नागरिक माना जाता हैं। राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका वास्तव में वह प्रक्रिया है जिससे देश में गैर–कानूनी ढ़ग से रह रहे विदेशी व्यक्तियों को खोजने की कोशिश की जाती है। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले असम में स्वतंत्रता के पश्चात् 1951 में पहली बार राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका बनी थी।

राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका का इतिहास

वर्ष 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था, इसके पश्चात् पूर्वी बंगाल और असम के रूप में एक नया प्रांत बनाया गया था। उस समय असम का पूर्वी बंगाल से जोड़ा गया था। जब देश का विभाजन हुआ तो यह भय भी उत्पन्न हो गया था कि कहीं असम पूर्वी पाकिस्तान के साथ जोड़कर भारत से अलग न कर दिया जाए। इसके पश्चात् गोपीनाथ बोर्डोली के नेतृत्व में असम विद्रोह आरम्भ हुआ। इस अभियान के पश्चात् असम अपनी सुरक्षा करने में सफल रहा, किंतु सिलहट पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। वर्ष 1950 में असम देश का राज्य बना। असम में राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका को सबसे पहले 1951 में नागरिकों, उनके घरों और उनकी संपत्तियों को जानने के लिए तैयार किया गया था। राज्य में राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका को अपडेट करने की मांग 1975 से ऑल असम स्टूडंट्स यूनियन द्वारा उठाई गयी थी और इसमें तब के असम के निवासियों को सम्मिलित किया गया था।

अंग्रेजों के शासन काल में चाय बागान में कार्य करने और खाली पड़ी भूमि पर कृषि करने के लिए बिहार–बंगाल के लोग असम आते थे, इसलिए वहां के स्थानीय लोग बाहरी लोगों से द्वेष रखते थे। 1950 के दशक में ही बाहरी लोगों का असम आना राजनीतिक मुद्दा बनने लगा था, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात् भी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश के लोगों का अवैध तरीके से असम आने का सिलसिला जारी रहा। बीच–बीच में इस मुद्दे पर थोड़ी बहुत पतिक्रिया आती रही लेकिन इस मुद्दे ने खास तूल नहीं पकड़ा। राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका के अनुसार 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे लोगों को भारतीय नागरिक माना गया है।

पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में जब भाषा विवाद को लेकर आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया तब पूर्वी पाकिस्तान में परिस्थितियां अत्यधिक हिंसक हो गई कि वहां रहने वाले हिंदू–मुस्लिम की बहुत बड़ी जनसंख्या ने भारत आना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने दमनकारी कार्रवाई शुरू की तो लगभग 10 लाख लोगों ने बांग्लादेश सीमा पारकर असम में शरण ले ली, हालांकि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि शरणार्थी चाहे किसी भी धर्म के हों, उन्हें वापस जाना होगा।

राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका के उद्देश्य

असम में राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका को अद्यतन करने का मूल उद्देश्य प्रदेश में विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की पहचान करना है। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जैसे संगठनों और असम के अन्य नागरिकों का दावा है कि बांग्लादेशी प्रवासियों ने उनके अधिकारों को लूट लिया है और वे राज्य में हो रही आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। इसलिए इन शरणार्थियों को अपने देश भेज दिया जाना चाहिए।

असम का नागरिक कौन है?

25 मार्च, 1971 से पहले असम में रहने वाले लोग असम के नागरिक माने जाते हैं। यदि कोई भी असम के नागरिकों की चयनित सूची में अपना नाम देखना चाहता है, तो उसे 25 मार्च, 1971 से पहले राज्य में अपना निवास प्रमाणित करने के लिए 'सूची अ' में दिए गए किसी एक दस्तावज को राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका आवेदन के साथ जमा करना होगा। यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि उसके पूर्वज असम के मूल निवासी हैं, इसलिए वह भी असम का निबासी है तो उसे 'सूची ब' में उल्लखित किसी भी एक दस्तावेज के साथ एक राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका आवेदन जमा करना होगा।

सूची 'क' में मागे गए मुख्य दस्ताबेज इस प्रकार हैं:–

25 मार्च 1971 तक मतदाता सूची	1951 का राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका
नागरिकता प्रमाण–पत्र	किराया और किरायेदारी के अभिलेख
स्थायी निवासी प्रमाण–पत्र	पासपोर्ट
बैंक या एल.आई.सी. दस्तावेज	स्थायी आवासीय प्रमाण–पत्र
शैक्षिक प्रमाण–पत्र और अदालत के आदेश रिकॉर्ड	शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण–पत्र

सूची 'ख' में सम्मिलित मुख्य दस्तावेजः–

भूमि दस्तावेज	राशन कार्ड
समिति या विश्वविद्यालय प्रमाण–पत्र	मतदाता सूची में नाम
जन्म प्रमाण–पत्र	कानूनी रूप से स्वीकार्य अन्य दस्तावेज
बैंक/एल.आई.सी./डाक घर अभिलेख	विवाहित महिलाओं के लिए एक सर्कल अधिकारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र

असम में अंतिम राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका प्रकाशित

असम में अंतिम राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित की गई। इस सूची में 19,06,657 व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं किया गया जबकि 3.11 करोड़ व्यक्तियों को इस नागरिकता सूची में सम्मिलित किया गया हैं। इस सूची में कुल 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। जो लोग पंजिका से बाहर किए गए हैं, वे उन विदेशी न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकते हैं जो 1964 के कान्न के तहत अर्ध न्यायिक निकाय हैं ये लोग सूची प्रकाशित होने के पश्चात् इन न्यायाधिकरणों से अपील कर सकते हैं।

यदि किसी को विदेशी न्यायाधिकरण में किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित किया जाता है तो वह उच्च न्यायालयों में अपील कर सकता है, यदि किसी को अदालतों द्वारा विदेशी घोषित किया जाता है तो उसे गिरफ्तार करके नजरबंदी केंद्र में रखा जा सकता है। जुलाई 2019 तक 1,17,164 व्यक्ति विदेशी घोषित किए गए हैं, जिनमें से 1,145 हिरासत में हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि असम का राष्ट्रीय नागरिक पंजिका अवैध घुसपैठियां की पहचान के लिए बनाया गया हैं। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने भी कहा था कि जब तक राष्ट्रीय पंजिका

को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। विवाद तब भड़का जब पता चला कि जिन चालीस लाख लोगों के नाम सूची में नहीं हैं, उनमें से काफी लोग कई पीढियों से भारत में रहते आए हैं। अर्थात राष्ट्रीय नागरिक पंजिका बनाने का कार्य उचित ढ़ग से नहीं किया गया। इनमं बड़ी संख्या में हिंदू भी हैं, विवाद इसलिए भी उत्पन्न हुआ क्योंकि कुछ राननीतिक नेताओं ने प्रारंभिक सूची के अनुसार ही इन चालीस लाख लोगों को घुसपैठिए कहना शुरू कर दिया।

हालांकि बाद में प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप किया, उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि ''मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी भारतीय नागरिक को देश नहीं छोड़ना होगा, प्रक्रिया का पालन करते हुए चिंताओं को दूर करने के पर्याप्त अवसर दिए जाएंग। राष्ट्रीय नागरिक पंजिका हमारा वचन था जिसे हम उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा कर रहे हैं। यह राजनीति नहीं बल्कि लोगों के बारे में है, यदि कोई इस पर राजनीति कर रहा ह तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।''

♦♦♦♦♦

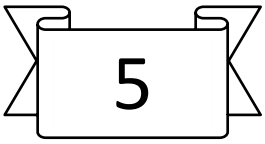

राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः नागरिक या नागरिकता का नामांकन?

गरिमा शर्मा

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

वर्तमान काल में राज्य का महत्व नागरिकता के साथ इसके संबंध से अधिक प्रगाढ़ हो जाता है और यह जब "हम" बनाम "वह" की राजनीति का भाग बन जाता है तो यह अस्मिता के साथ–साथ मानव गरिमा का भी प्रश्न बन जाता है। आज किसी देश की नागरिकता का महत्व वह व्यक्ति या समुदाय अधिक स्पष्ट रूप से वर्णित कर सकते हैं जो परिस्थितिवश पलायन की ओर अग्रसर हुए तथा आज "राज्य विहीन" के रूप में पहचाने जाते हैं। वैश्वीकरण ने भले ही विश्व ग्राम की आदर्श स्थिति सभी राज्यां के समक्ष प्रस्तुत की हो परन्तु धरातलीय स्तर पर राज्य एवं समुदाय अपनी अस्मिता के प्रति अधिक जाग्रत हुए हैं।

आंतकवाद एवं अलगाववाद जैसी समस्याओं ने नागरिक सुरक्षा के लिए बढ़ते संकट को कम करने के लिए राज्यों को अपनी नियमावली को अधिक कठोर बनाने के लिए विवश किया है। नागरिकता का निर्धारण विभिन्न राज्यों में भिन्न –भिन्न रूपों में करने का प्रचलन रहा है। जैसे कि इजरायल में नागरिकता का मुख्य आधार यहूदी अस्मिता है। वहीं भारत नागरिकता का आधार जन्म, वंशानुगत एवं निवास काल समय सीमा द्वारा निर्धारित करता है।

स्वतंत्रता के पश्चात् नागरिकता का प्रश्न पुरजोर रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम से उभरकर निकला, जिसके पीछे सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारक मुख्य रहे। विभाजन के पश्चात यह निर्धारित करना अपने आप में एक जटिल कार्य था कि किन –किन आधारों को नागरिकता के पैमाने के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। एक लम्बे समय तक लोगों के पलायन की प्रक्रिया चल रही थी। इस समस्या की दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के भाग दो के अंतर्गत अनुच्छेद पांच से ग्यारह तक भारतीय नागरिकता के कारकों का वर्णन किया गया। संविधान की लचीली प्रकृति के अनुसार इसमें अंतर्गत समय –समय पर संशोधन भी किये गये, जिसमें सर्वप्रथम संशोधन 1986 में असम राज्य के सन्दर्भ में हुआ था। जिसे असम समझौते के

नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के कारण भारतीय नागरिकता जन्म के आधार से अधिक भारतीय नागरिकों के द्वारा जन्म दी गयी संतान में नियमित हो गयी थी।

इस परिवर्तन का कारण बांग्लादेश के निर्माण के साथ बड़ी संख्या में आए शरणार्थियों की थी, जो असम के स्थानीय निवासियों की संस्कृति एवं संसाधनों पर एक बड़ा संकट बन गये थे। जिसके विरोध में असम में अशांति का परिवेश निर्मित हो गया था। असम के लोगों के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम भारतीय नागरिकता के प्रावधानों में संशोधन किया गया, परन्तु राजनीतिक वरीयताओं ने असम के लोगों की समस्याओं में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होने दिया। 17 नवम्बर, 1999 को असम समझौते की समीक्षा हेतु एक त्रिपक्षीय बैठक भी हुई परन्तु तब भी कोई कारगर कदम नहीं लिया गया। तद्नुसार 2005 में सर्वोच्च न्यायालय में असम के अंतर्गत राष्ट्रीय नागरिक पंजिका को नियमित करने की अपील की ताकि असम के वैध भारतीय नागरिकों की पहचान की जा सके। हालाँकि राष्ट्रीय नागरिक पंजिका का निर्माण 1951 में प्रथम जनगणना के आधार पर निर्मित किया गया था, परन्तु वर्तमान राजनीति में इसे मुख्यतः असम के सन्दर्भ में ही देखा जाता है।

2012–2013 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने इसे एकबार फिर राजनीति के केंद्र में ला दिया था। इसके पश्चात् से ही सरकार द्वारा असम के अंतर्गत राष्ट्रीय नागरिक पंजिका के क्रियान्वयन पर बल दिया गया, जिससे असम समझौते के तहत 1971 में असम में आए अवैध नागरिकों की पहचान की जा सके। इस पंजिका से यह आशा रखी गयी कि यह असम में व्याप्त असंतोष को कम करने में मदद करेगा तथा संसाधनों का लाभ असम के वैध नागरिकों को प्राप्त हो सकेगा। परन्तु इस पंजिका की प्रथम सूची में एक बड़ी जनसंख्या बाहर हो गयी तथा ऐसा अनुमान लगाया गया कि अनेक अवैध लोगों को इसमें वैध नागरिकता प्राप्त हो गयी।

यह व्यवस्था की असफलता को प्रदर्शित कर रहा था। लेकिन सरकार द्वारा यह प्रावधान भी किया गया कि नागरिक अपनी नागरिकता के लिए विदेशी प्राधिकरण में याचिका दे सकते हैं तथा इस याचिका को वह न्यायालय तक भी ले जा सकते हैं। इन सब जटिलताओं में समस्या का समाधान अधिक उलझ गया तथा जिस पंजिका का निर्माण वैध नागरिकों की सूची के लिए तैयार किया गया था, वह आज नागरिकता का आधार माना जाने लगा।

2019 में नागरिकता के प्रावधानों में संशोधन से समस्या अधिक विस्तृत हो गयी तथा यह मात्र विचारधारात्मक भ्रांतियों का शिकार बन कर रह गयी। नागरिकता संशोधन कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने हेतु समय सीमा में रियायत प्रदान करना धार्मिक दृष्टिकोण से भेदभाव पूर्ण माना गया। इसके धार्मिक रंग का मुख्य कारण सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक पंजिका के नियमन की औपचारिक घोषणा की अटकलों से लगाया जाने लगा।

इन सबने राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक असंतोष का रूप ले लिया। इस परिदृश्य में सरकार को यह समझने की आवश्यकता है कि शक्ति के साथ उत्तरदायित्व में भी वृद्धि होती है अतः यह आवश्यकता है कि इसे धामिक भ्रांतियों से बाहर निकाला जाए तथा यह स्पष्ट किया जाए कि यह मात्र वैध नागरिकों की सूची की पंजिका है। यह नागरिकता प्रदान करने का आधार नहीं है, प्रशासनिक त्रुटि का समाधान प्रशासनिक समझदारी तथा उचित न्यायिक कार्यवाही द्वारा किया जा सकता है।

♦♦♦♦♦

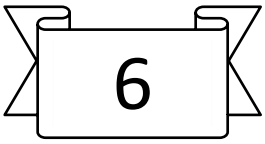

नागरिकों की राष्ट्रीय पंजिकाः राष्ट्रीय चिन्तन अथवा धार्मिक विमर्श?

रजनी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

किसी भी देश की नागरिकताका का जहां प्रश्न आता है वहां वह मुद्दा राजनीतिक बन जाता है। हिंदुत्व राजनीतिक सिद्धांत में, राज्य और समाज के संबंध में मानव की नागरिकता के बारे में कोई विमर्श नहीं है। सबसे पहले नागरिकता की अवधारणा ग्रीस में अरस्तू द्वारा तैयार की गई थी। वह नागरिक को ''एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसे राज्य के जानबूझकर या न्यायिक कार्यालयों में भाग लेने का अधिकार है''। उनके अनुसार एलियंस और दासों के पास नागरिकता के अधिकार नहीं हैं। यह विचार बाद के यूरोपीय विचारकों द्वारा विकसित किया गया था, जिन्होंने मोटे तौर पर एक नागरिक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया था जो मतदान कर सकता है और निरंतर जीवन के लिए लाभ प्राप्त कर सकता है और किसी दिए गए राज्य में रहने की प्रक्रिया में जीवन को बेहतर बना सकता है। अप्रवासियों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपनी श्रम शक्ति के माध्यम से उस समाज और राज्य में अपने योगदान के आधार पर नागरिकता मांग सकते हैं, किंतु धर्म/पंथ, जाति या नस्ल के आधार पर नहीं।

इस प्रकार एन.आर.सी. भारत और असम की राजनीति के लिए एक चुनौती है। जहां सरकार कुछ बोलती है तो विपक्ष कुछ। दोनों ही चुनौती की राह में है। जिस पर कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद तर्क करते हैं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर नहीं है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जहाँ हमारे नेपाली भाई–बहनें काम नहीं करते हैं, वहीं असम के बंगाली लोग वो भी देश के प्रत्येक भाग में हैं। भाजपा से अमित शाह कहते हैं कि 1971 में स्वयं इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश में एक भी घुसपैठिए के लिए कोई स्थान नहीं है। वहीं तेलंगाना के भाजपा विधायक राजा सिंह बयान देते हैं कि जो भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी ह, यदि सम्मान–पूर्वक भारत छोड़कर नहीं जाते हैं तो इन सभी लोगों को गोली मारकर समाप्त करने की आवश्यकता है, तभी हमारा विकास संभव है। दूसरी ओर ममता बनर्जी कहतीं हैं कि इसके कारण असम में अशांति है और इसमें धारा–144 लगी है, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो असम में गृहयुद्ध

छिड़ जाएगा। इस प्रकार के उक्त कथन राजनीतिक स्तर पर अलग–अलग दावपेंच दिखाते हैं। वहीं एक बयान पर असम गण परिषद् के नेता प्रफुल्ल कुमार महंत का कहना है कि असम की तरह देश के दूसरे राज्यों में भी एन.आर.सी. बननी चाहिए। देश के दो अन्य राज्य मध्यप्रदेश और झारखंड में इसके प्रयास जारी है। इस प्रकार की राजनीति से वोटर की संख्या पर सीधा असर दिल्ली में हुए विधान सभा चुनाव में देखने को मिला है और होने वाले अन्य चुनावों में भी देखने को मिल सकता है।

भाजपा ने हिंदुओं को समर्थन प्रदान करने का संकेत दिया है, जिन्हें इस सूची में इस तर्क के साथ बाहर रखा गया है कि वे धार्मिक उत्पीड़न के शिकार के रूप में बांग्लादेश से भारत आए थे। जबकि ज्यादातर बांग्लादेशी मुसलमान आर्थिक प्रवासी थे। राजदीप सरदेसाई के साथ इंडिया टुडे के टीवी डिबेट के दौरान इस तक को उठाते हुए पूर्वोत्तर बीजेपी के रणनीतिकार रजत सेठी ने कहा कि एन.आर.सी. प्रक्रिया असम में भाजपा और कांग्रेस की पूर्वोत्तर राज्य इकाइयों के लिए पवित्र है क्योंकि यह स्वदेशी समुदायों की मदद करती है, जो तेजी से अल्पसंख्यक बन रहे थे। ''अवैध प्रवासियों के रातां रात गाँव आबाद हो जाते हैं, स्वदेशी लोग अल्पसंख्यक बन गए और उन्हें अपनी नौकरियों के लिए संघर्ष करना पड़ा''।

रजत सेठी ने कहा, पिछले तीन–चार वर्षों में, न केवल एन.आर.सी. प्रक्रिया ने अवैध प्रवासियों की पहचान की, बल्कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में फैले प्रवासियों की अवैध कॉलोनियों को हटाने में मदद की। उन्होंने तर्क दिया कि कुछ समय पहले हुए बोडो दंगे में भी अवैध प्रवासी समस्या में ही निहित थी। उनकी पार्टी को हिंदू शरणार्थियों के नागरिकता से वंचित होने की समस्या थी। ''हिंदुओं, जो बांग्लादेश अशांति के दौरान भारत आए थे, उन्हें शरणार्थी कार्ड दिए गए थे, लेकिन इन शरणार्थी कार्डों को एन.आर.सी. के लिए एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। यह विवाद की हड्डी बन गया है, जिसके लिए भाजपा ने राजनीतिक रुख अपनाया है।'' ''जो लोग धर्म के आधार पर केवल उत्पीड़न से शरण लेने के लिए भारत आए थे, उनके साथ उन लोगों की तुलना में अलग व्यवहार किया जाना चाहिए जो हमारे आर्थिक संसाधनों से दूर है और खाने के लिए आए हैं।''

राजदीप सरदेसाई के शो 'न्यूज टुडे' का भाग, और असम के मुख्यमंत्री के उपमन्यु हजारिका ने स्पष्ट किया कि भारत शरणार्थियों की दुर्दशा के प्रति संवेदनशील है, वहीं बांग्लादेशी प्रवासी एक नहीं थे। ''असम में बांग्लादेशी प्रवासी शरणार्थी नहीं हैं, वे आर्थिक संसाधनों के लिए यहां

हैं,'' सरकार को संसाधनों पर अपना अधिकार हटाकर प्रवासियों के लिए कदम उठाने का काम करना चाहिए। ''बांग्लादेशी प्रवासी अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, आदि जैसे अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें संसाधनों पर अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन असम में वे ऐसा करते हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस कानून पर होने वाले तर्क–वितर्क के कारण इस एन.आर.सी. ने अलग ही रूप ग्रहण कर लिया है और कहीं न कहीं यह प्रारूप राजनीतिक से धार्मिक की ओर उन्मुख होता नजर आया है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण शाहीन बाग जैसे स्थानों पर उमड़ती भीड़ इस बात को स्पष्ट करती हैं कि भारत जैसा देश, जो कि प्रारंभ से ही लोकतांत्रिक रहा है और सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान प्रदान करता आया है और आगे भी करता रहेगा। परंतु यहाँ समस्या कुछ अस्पष्ट होने से उत्पन्न होने लगी है, जिसें धार्मिक पहलू के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। क्योंकि अब आने वाला कानून अन्य तीन देशो में होने वाले हिंदुओं, पारसी, जैन, सिक्ख इसाई (जो कि मुस्लिम को छोड़कर) के साथ दुर्व्यवहार के कारण और अन्य देशों में उन्ह संरक्षण की कोई गारंटी न मिलने के कारण भारत ने उन्हें अपना नागरिक स्वीकार करने की पहल की है।

मुसलमानो को न जोड़ने का कारण यह है कि मुसलमानों के लिए मुस्लिम देशो की संख्या कम नहीं है। परंतु यह कानून अभी पूरी तरह से लागू भी नहीं हुआ था कि राजनीतिक पार्टीयों ने अपनी चाल द्वारा जनता को भड़काकर धार्मिक राजनीति का खेल खेलना प्रारंभ कर दिया है। जिसके परिणामस्वरूप देश में हिंसा का बढ़ता रंग इन दिनों उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिला है। जहां हिंसा अपने चरम पर उतारू होकर नागरिकता के कानून से परिवर्तित होकर सिर्फ धर्म के कानून पर खून के रंग और घर, विद्यालयों और अन्य को जलाकर होली खेलते दर्शित हुई। वहीं इस हिंसा ककी धार्मिक राजनीति का सिलसिला अब भी कायम बयानो में देखने को मिलता है। जो कि राष्ट्र के लिए अब चिंता का विषय बन चुका है।

♦♦♦♦♦

7

राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः आवश्यकता अथवा राजनीति

नरेन्द्र कुमार

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एन.आर.सी) जो स्पष्ट करता है कि भारत में निवास करने वाला कौन भारतीय नागरिक है। जिसका नाम इसमें सम्मलित नही हैं उसे अवैध भारतीय नागरिक माना जाऐगा। अर्थात भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे बहारी व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें उनके देश भेजना। भारत में उत्तर पूर्वी राज्य असम में सबसे पहले 1951 में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका तैयार की गई थी। परंतु वर्तमान समय में भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहां था कि हम एन.आर.सी. पूरे भारत में लागू करेंगे, तभी से इस पर विवाद बना हुआ हैं द्य इस लेख में यह बताने का प्रयास किया गया हैं कि भारत में एनआरसी एक आवश्यकता है या राजनीति द्य सबसे पहले एनआरसी के इतिहास को बताया गाय हैं, इसके बाद इसकी आवश्यकता और अंत में एनआरसी के विरोधियों की इसके बारे में किया प्रीतिक्रिय हैं इस पर प्रकाश डाला गया हैं।

एन.आर.सी. का इतिहास?

यदि एन आर सी का इतिहास देखा जाए तो इसमें बंगाल विभाजन की भूमिका महत्वपूर्ण हैं। 1905 के बंगाल विभाजन के समय औपनिवेशिक शासन ने असम को नया प्रांत बना कर इसे पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ा था। भारत विभाजन के दौरान यह शंका उत्पन होनें लगी थी, कि कहीं असम पूर्वी पाकिस्तान के साथ न चला जाए। असम को पाकिस्तान में सम्मालित होनें से रोकने के लिए गोपीनाथ बोर्डोली के नेतृत्व में असम के अंदर आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के द्वारा वह असम को पूर्वी पाकिस्तान में सम्मलित होनें से रोकने में सफल भी हुए। आजादी के बाद जब असम देश का राज्य बना और 1951 में जनगणना के बाद राष्ट्रीय नागरिक पंजिका बनाई गई, जिसमें असम के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया। लेकिन 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान लाखों लोग असम में आ गए। उस समय से लेकर आज तक इस पर विवाद बना हुआ हैं।

एन.आर.सी. एक आवश्यकता अथवा एक राजनीति के रूप में

ऐसा माना जाता हैं कि भारत में करोड़ो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। जिसमें बड़ी संख्या बांग्लादेश के घुसपैठियों की है, जिसमें अधिकतर मुस्लिम समुदाय से संबन्धित लोग शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह का मानना है, कि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में अवैध रूप से आ कर रहने वालो की पहचान कर उन्हें देश स बहार भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए उन्होंनें पूरे भारत में एन.आर.सी. लागू करने की बात कही हैं। वर्तमान समय में एनआरसी असम में लागू की गई हैं, जिसमें करीब 19 लाख लोगों को बाहर रखा गया हैं।

ऐसा माना जाता है कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान (आज का बंग्लादेश) के लाखों नागरिक पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के कारण असम और भारत के अन्य हिस्सों मे आकर बस गए थे। उस समय की तत्काल भारतीय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने कहां था कि सभी शरणार्थियों को उनके देश वापिस भेजा जाएगा। 1985 में तत्कालीन भारतीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने असम गण परिषद के साथ समझौता कर यह सुनिश्चित किया, कि केवल 1971 से पहले भारत आने वाले लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। यह प्रक्रिया उस समय शुरू नही हो पाई थी।

2005 में उच्चतम न्यायलय के आदेश में इस पर एक बार फिर से कार्य शुरू किया गया। परंतु 2015 के न्यायालय के ही आदेश पर एन.आर.सी. पर तेजी काम शुरू हुआ। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नई राष्ट्रव्यापी एन.आर.सी. प्रक्रिया में असम के बाद पूरे भारत में भी लागू होगी। एन.आर.सी. शुरू में केवल असम के लिए ही थी। परंतु सरकार इसे पूरे भारत में लागू करने पर विचार कर रही हैं। सरकार ने लोगों को विश्वास दिलाया हैं कि अगरएन.आर.सी. में किसी नाम नहीं हैं, तो उसे चिंता करने की आवश्यकता नही हैं, उन्हें फिर से नाम शामिल करने का अवश्सर दिया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि विचार विमर्श के बाद ही पूरे भारत में एन.आर.सी. लागू की जाएगी। अतः कह सकते हैं कि एन.आर.सी. का विचार केवल वर्तमान सरकार का नही हैं, पहले भी इसके कई प्रयास किए जा चुके हैं। जो एक रूप से भारतीय नागरिकों को पहचाने की प्रक्रिया हैं।

परंतु दूसरी ओर इसे आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी पार्टियों का तर्क हैं कि सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए एन.आर.सी. को पूरे भारत में लागू करने का प्रयास कर रही हैं। अगर पूरे भारत में एन.आर.सी. लागू होती हैं तो यह नोंट बंदी से भी बड़ी समस्या के रूप में उत्पन होगो। क्योंकि सभी लोगों के लिए यह संभव नहीं, कि वह कानूनी रूप से

अपनी नागरिकता साबित कर पाए। इसके अलावा उनका मानना है कि एन.आर.सी. तैयार करना एक लंबी प्रक्रिया हैं।

इसमें लगभग चार वर्ष का समय लगेगा, जिसमें बड़ी संख्या में नौकरशाह और धन की आवश्यकता होगो। जिसके परिणामस्वरूप नौकरशाहीकरण को बढ़ावा मिलेगा। लोगों को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कार्यालयों के चक्कर भी लगाने होगे, इससे सभी लोगो को कई प्रकर की समस्या का सामना करना पड़ सकता हैंः— जैसे आवेदन पत्र भरना, यात्राएं करना, घंटों लाइन में लगे रहना इत्यादि।

इसी प्रकार कहा जा सकता है कि शुरू में यह केवल असम के लिए लाई गई थी, जिसमें वहां नागरिकों और गैर नागरिकों चिन्हित करना था। और जो लोग 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से वहां की सेना के अत्याचार से बचने के लिए असम में आकर बस गए थे, उन्हें उनके देश वापिस भेजना है।

पहले की अन्य सरकारों द्वारा भी इस पर कार्य शुरू करने का प्रयास किया था। परंतु इस पर तेजी से कार्य मुख्यतः खास कर असम के अंदर वर्तमान सरकार के द्वारा ही हुआ हैं। अतः कह सकते है कि एन.आर.सी. का विचार गलत नही हैं, परंतु इसकी व्यवहारिक समस्याओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक हैं।

♦♦♦♦♦

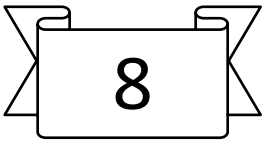

8

राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः एक विमर्श

विजय प्रकाश सिंह

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनआरसी) भारतीय नागरिकों के विवरण वाली पंजी है। गृह मंत्रालय के निर्देशों पर, 1951 की जनगणना करने के बाद, प्रगणित सभी व्यक्तियों के विवरण दर्ज करके राष्ट्रीय नागरिक पंजिका एन.आर.सी. को तैयार किया गया था। 1951 के एन.आर.सी. में असम के अधिकांश नागरिकों के नाम सूचीबद्ध किए गए थे। असम में लगातार कुछ दशकों स इस बात की मांग की जा रही थी कि एनआरसी का अद्यतनीकरण किया जाये ताकि विदेशी राष्ट्रवासियों अथवा घुसपैठियों का पता लगा कर उन्हें देश से बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस प्रक्रिया में लगातार कई मुश्किलें आ रहीं हैं, जैसे– इस प्रक्रिया द्वारा जिन लोगों की पहचान अवैध प्रवासियों के रूप में की गई है, उनका दावा है कि वह असल में देश के नागरिक हैं, हालाँकि वे इसे साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ रहें हैं।

असम आंदोलनः

यहाँ यह जानना आवश्यक है कि आखिर असम में ही एनआरसी को लेकर मांगे तेज क्यों हुई? ऐसे क्या कारण थे कि असमिया लोग एनआरसी के अद्यतनीकरण की मांग कर रहे थे? 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय तकरीबन दस लाख लोग बांग्लादेश से भारत पहुंचे थे। 1971 में बांग्लादेश के गठन के बाद इनमें से अधिकतर वापस चले गए लेकिन आंकड़े बताते हैं कि एक लाख के करीब बांग्लादेशी असम में ही रह गए। राज्य में इतनी संख्या में बांग्लादेशियों के आने से स्थानीयों में असमिया संस्कृति और जातीय अस्मिता को लेकर असुरक्षा का भाव पैदा होने लगा, जिसके बाद यह दो संगठन के रूप में दिखा देशी और विदेशी खासतौर पर बांग्लादेश से आए हुए लोगों के खिलाफ मुखर रूप से सामने आये और असम आंदोलन की नींव पड़ी। असम आंदोलन में मुख्य रूप से ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (आसू) और असम गण संग्राम परिषद शामिल थे। इस आंदोलन को असमिया बोलने वाले हिंदू, मुस्लिम, यहां तक कि बांग्लाभाषियों का भी समर्थन मिला।

असम समझौताः

छह साल चले इस आंदोलन में करीब साढ़े आठ सौ आंदोलनकरियों ने अपनी जान गंवाई थी। 1983 में मोरीगांव जिले के नेल्ली में हुए नरसंहार के बाद केंद्र सरकार और आंदोलन के नेताओं के बीच समझौते को लेकर बातचीत शुरू हुई और 15 अगस्त 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लाल किले से अपने भाषण में असम समझौते की घोषणा की। इसके अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद राज्य में आए लोगों को विदेशी माना जाएगा और वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। वहीं 1951 से 1961 के बीच असम आए लोगों को नागरिकता और मत देने का अधिकार दिया गया। 1961 से 1971 के बीच आने वाले लोगों को नागरिकता मिली, लेकिन मताधिकार नहीं।

वर्तमान एन.आर.सी.:

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर असम की राष्ट्रीय पंजी का पहला ढाँचा 31 दिसंबर, 2017 और एक जनवरी, 2018 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 3.29 करोड़ आवेदकों में से 1.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल नहीं किये गये थे। असम में अद्यतन की गई अंतिम एनआरसी 31 अगस्त को जारी की गई जिसमें 19 लाख से अधिक आवेदकों के नामों को शामिल नहीं किया गया।

विवाद के कारणः
विदेशी न्यायाधिकरण

असम में जिन लोगों के नाम अंतिम एनआरसी में नहीं शामिल हुए वे विदेशी न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस काम के लिए 200 नए विदेशी न्यायाधिकरण बनाए गए हैं। विदेशी न्यायाधिकरण के फैसले से व्यक्ति के संतुष्ट नहीं होने पर वह उसके खिलाफ अपील कर सकता है। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए जिनमे लोग विदेशी न्यायाधिकरण में दस्तावेजों के होने के बाद भी नागरिकता साबित करने में असफल रहे। हालांकि, उपर्युक्त प्रक्रिया के बावजूद एनआरसी का हिस्सा नहीं बन सके लोगों के लिए राज्यभर में डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। अभी राज्य में छह डिटेंशन सेंटर हैं। ये गोपालपाड़ा, डिब्रूगढ़, जोरहट, सिलचर, कोकराझार और तेजपुर में हैं।

अदक्ष गणक अधिकारीः

सन् 1951 में जब जनगणना हुई, उसी समय राष्ट्रीय नागरिक पंजिका को भी तैयार किया गया और इसे तैयार करने वाले खुद जनगणना करने वाले गणक अधिकारी थे। इसे स्थायी दस्तावेज के रूप बनाये रखा गया जिसका उपयोग घरों द्वारा व्यवस्थित व्यक्तियों के विवरण व घरों के आकार तथा साधारण संरचना जैसी घरों विशेषताओं को छाँटने और सारणीबद्ध करने के लिए किया गया था। यह जानना आवश्यक है कि एन.आर.सी. में परिवार के सभी सदस्यों के नामों को शामिल नहीं किया जाता था और इसका प्रभाव अधिकतर उन क्षेत्रों में पड़ा जहाँ पर अप्रवासी मुस्लिम लोग धनी परिवारों में सेवक के रूप में कार्य करते थे, अर्थात् इन लोगों का नाम स्पष्ट रूप से एन.आर.सी. में शामिल नहीं हुआ। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एनआरसी जिन लोगों द्वारा लिखाया गया था वे अनपढ़ या अदक्ष थे। और चूँकि एन.आर.सी. कोई सार्वजनिक दस्तावेज नहीं था इसी कारण से लोग कभी यह नहीं जान पाए कि वास्तव में उनका नाम एनआरसी की सूची में कभी था ही नहीं।

महिलाओं पर प्रभावः

असम में जिन लाखों लोगों को संदिग्ध मतदाताओं की श्रेणी में रखा गया है उनमें से अधिकतर महिलाएं हैं। आखिर ऐसा क्यों हैं? इसका जवाब सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपराओं में छिपा है। दरअसल, पितृसत्तात्मक समाज में पहले महिलाओं की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। इस वजह से उनके पास स्कूली प्रमाणपत्र नहीं है। इसके अलावा उनके नाम जमीन, खेत या दूसरी संपत्ति के प्रमाण–पत्र भी नहीं है। इन सभी दस्तावेजों पर पुरुषों के ही नाम हैं। ऐसे में इन महिलाओं को अपनी नागरिकता सिद्ध करने में सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

निष्कर्षः

एन.आर.सी. भले ही, असम समझौते के अनुसार, असमिया लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक व भाषायी सुरक्षा व प्रोत्साहन हेतु आवश्यक है, किन्तु इस बात को नजरअंदाज नहों किया जा सकता कि इसका सबसे अधिक प्रभाव गरीब लोगों पर पड़ रहा है जो उपर्युक्त दस्तावेजों की पहुँच से दूर हैं।

♦♦♦♦♦

9

राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः एक विचारात्मक विमर्श

मोहिनी मित्तल

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय

देश की संसद मे नागरिकता संशोधन विधेयक पास होते ही नागरिकता पंजिका की चर्चा शुरू हो गई है। राष्ट्रीय नागरिक पंजिका से आशय है, वह पंजिका जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत मे अवैध रुप से रह रहे घुसपैठियों को भारत से निकालना है,तथा विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की पहचान करना है। भारत मे अभी तक राष्ट्रीय नागरिक पंजिका को पूर्वोत्तर का गेट–वे कहे जाने वाले असम मे ही लागू किया गया है। सर्वप्रथम असम मे राष्ट्रीय नागरिक पंजिका को 1951 मे नागरिकों, उनके घरों और उनकी सपत्तियों को जानने के लिए तैयार किया गया था। 1975 मे ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा इसे संशोधित करने की मांग की गई। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का कहना है कि बांग्लादेश से आए इन प्रवासियों ने उनके संसाधनों को लूट लिया है, और वे राज्य में होने वाली अपराधिक गतिविधियों मे शामिल हैं, इसीलिए इन को इन के देश वापस भेज दिया जाना चाहिए। 2013 मे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राष्ट्रीय नागरिक पंजिका की प्रक्रिया शुरू हुई। यदि कोई भी व्यक्ति असम के नागरिकों की सूची में अपना नाम देखना चाहता है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में से किसी भी एक को राष्ट्रीय नागरिक पंजिका फार्म के साथ जमा करना होगा।

सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक पंजिका प्रक्रिया पर लगभग 1200 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, इसमे 55000 सरकारी अधिकारी शामिल थे, इस पूरी प्रक्रिया में 64.4 मिलियन दस्तावेजां की जाँच की गई।असम में अंतिम राष्ट्रीय नागरिक पंजिका सूची 31 अगस्त 2019 को जारी की गई थी इस सूची के लिए3.25 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था,3.10 करोड़ लोग इस नागरिकता सूची में शामिल किये गए।जबकि 19,06,657 लोगों को शामिल नहीं किया गया। जो लोग इस सूची से बाहर किए गए हैं, वे उन विदेशी न्यायाधिकरण पर आवेदन कर सकते हैं, जो 1964 के कानून के तहत अर्धन्यायिक निकाय हैं, सूची जारी होने के 120 दिनों के भीतर इन न्यायाधिकरणों मे अपील की जा सकती है। राष्ट्रीय नागरिक पंजिका को लेकर संसद से सडक़

तक विवेचन जारी है, वर्तमान मे पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका जारी करने को लेकर विमर्श चल रहा है, हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई प्रारूप तैयार नहीं किया गया है, अभी सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल के मस्तिष्क पटल पर यह मौजूद है। अगर देश भर में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका को लागू किया जाता है, तो जिन व्यक्तियों की पहचान अवैध घुसपैठियों के रूप में की जाएगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तथा इसके बाद उन्हें एक बडे निरोध केन्द्र मे रखा जाएगा। अगर उनका देश स्वीकार करता है, तो वे वापस अपने देश भेज दिये जाएंगे।

राष्ट्रीय नागरिक पंजिका के पक्षकारों का मानना है, कि इसके संपूर्ण देश मे लागू होने से आतंकवाद पर रोक लगेगी, नागरिको और विदेशियों की स्पष्ट पहचान करना भी आसान होगा।वर्तमान में बांग्लादेश से आए कई घुसपैठियों के रोहिंग्या आतंकवादीयों से कनेक्शन है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से भी इनके संपर्क हैं, जो भारत की एकता अखंडता और सुरक्षा के लिए सवाल खडे करता है। राष्ट्रीय नागरिक पंजिका से इसे रोका जा सकेगा।

जहाँ एक तरफ देश मे संसाधनों की समस्या आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अवैध घुसपैठियों के आने से संसाधनों का दुरुपयोग होता है, संसाधनों पर अवैध कब्जे से समस्या उत्पन्न होती है। गैरेट हार्डिन के द्वारा दी गई जीवन नौका (सपमि इवंज) की अवधारणा के अनुसार प्रत्येक देश के संसाधन एक जीवन नौका के समान है, जो कि विशिष्ट वहन करने की क्षमता रखते हैं और अन्य व्यक्तियों को भी वहन करने की क्षमता रखते हैं, किंतु इससे उस देश के मूल निवासियों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता मे बाधा हो सकती है।

इसके अलावा इन शरणार्थियों के द्वारा राज्यो मे जनसंख्या बढा दी जाती है, मूल नागरिकों को विस्थापित कर दिया जाता है, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का वास्तविक लाभ नागरिकों को नहीं मिल पाता है। सरकार की योजनाओं का दुरुपयोग होता है, बाहरी लोग खुद इसका लाभ लेते हैं तथा अन्य घुसपैठियों को भी बुला लेते हैं। राज्य के मूल नागरिक अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो जाते हैं। इससे बहुत ज्यादा सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है। असम व अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में होने वाले तनाव व दंगे इसका उदाहरण हैं।

देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका लागू होने से असम की तरह संपूर्ण देश के नागरिकों का एक डाटा सरकार के पास होगा। कौन भारतीय है और कौन नहीं, इसकी जानकारो सरकार के पास होगी। यह देश की एकता अखंडता के लिए लाभदायक होगा।सरकार को योजनाएं बनाने मे सुविधा होगी। हालांकि कुछ लोग राष्ट्रीय नागरिक पंजिका का लगातार विरोध भी कर रहे हैं।

राष्ट्रीय नागरिक पंजिका के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी असम मे देखे जा रहे हैं। लोगों से उनकी सामाजिक पहचान पूछी जा रही है।उन को सिद्ध करना पड़ रहा है, कि वे भारतीय हैं। राष्ट्रीय नागरिक पंजिका एक अच्छी पहल हो सकती है, किंतु देश की जनसंख्या का एक चौथाई भाग अभी भी अशिक्षित है।उन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना एक समस्या है, हाल ही में असम में जुबैदा बेगम मामले मे ऐसा देखा गया। राष्ट्रीय नागरिक पंजिका मे जब जुबैदा बेगम का नाम शामिल नहीं था।उनको विदेशी घोषित किया गया तो जुबैदा बेगम ने विदेशी न्यायधिकरण के समक्ष खुद को विदेशी घोषित करने के आदेश को चुनौती देते हुए गुवाहाटी कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि वोटर आईडी कार्ड,पैन कार्ड या फिर जमीन के कागजात होने से यह साबित नहीं हो जाता कि वह भारतीय नागरिक है।

कुछ लोगों को भारतीय होते हुए भी नागरिकता खोने का डर लग रहा है।कई उपद्रवी तत्वों के द्वारा इस का फायदा उठाते हुए हिंसा भडकाई जा रही है, देश में इसे लेकर दंगे, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, दिल्ली में शाहीन बाग में हो रहे विरोध प्रदर्शन इसी का उदाहरण है। वर्तमान में राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका का अभ्यास कार्य जो चल रहा है, उसे लेकर लोगों म आशंका है। राष्ट्रीय नागरिक पंजिका के डाटा के उपयोग को लेकर कई विशेष प्रावधान रखे गए हैं, इसका उपयोग सरकार आवश्यकता अनुसार कहीं भी कर सकती है। असम में लगभग 19लाख लोग ऐसे हैं, जो कि नागरिकता के दायरे से बाहर हो गए हैं, इसे लेकर राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका पर सवाल उठ गए हैं, इसमें 13 लाख के करीब हिन्दू और 6 लाख के करीब मुस्लिम बाहर हो गए हैं,भारतीय सेना में उच्च पदों पर आसीन कई अधिकारी भी राष्ट्रीय नागरिक पंजिका से बाहर हो गए हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय नागरिक पंजिका जारी करने से साम्प्रदायिकता फैलने का भी खतरा है। हिन्दू मुस्लिम की अलग अलग गणना से देश की एकता एवं अखंडता को भी खतरा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक राष्ट्रीय नागरिक पंजिका पर विचार–विमर्श जारी है।चूंकि यह मामला संवेदनशील है, इस पर पक्ष व विपक्ष दोनों ही बिंदुओं पर गहनता से विचार करते हुए सरकार को अंतिम निर्णय लेना होगा ताकि किसी के साथ अन्याय न हो और कोई अपने ही देश में नागरिकता से वंचित न हो जाए, साथ ही अपने ही देश में अल्पसंख्यक न हो जाए।

♦♦♦♦♦

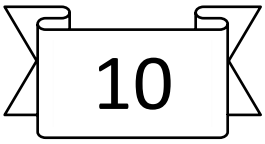

संशोधित नागरिकता अधिनियम व राष्ट्रीय नागरिक पंजिकाः संदेह का मिथ्याभ्रम

सृष्टि

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत के विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियमए राष्ट्रीय नागरिक पंजिका व राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका के विरूद्ध देश भर में चल रहे आंदोलन और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में कई लोगों व संगठनों द्वारा दायर नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबड़े न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर एवं न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर तत्काल रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को नागरिक संशोधन अधिनियम से संबन्धित मुद्दों की सुनवाई पर रोक लगाते हुए 'मुद्दे' के संवैधानिक महत्व को देखते हुए इसे पाँच सदस्यीय संविधान पीठ को सौपनें के भी संकेत दिए। देश में ऐसे संवेदनशील मुद्दों के त्वरित सुनवाई पर प्रश्न उठाने के साथ संविधान विशेषज्ञों की भी राय आनी शुरू हो गयी थी। राष्ट्र हित में निश्चित रूप से इस समस्या का शीघ्र समाधान आवश्यक है।

संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप न भी कहा है कि देश के निर्वाचित प्रतिनिधि संसद में जब कोई कानून बनाते है और यदि किसी को लगता है कि वह कानून असंवैधानिक है तो उसको संवैधानिक बनाने के दो मार्ग है। पहला तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए और सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करे कि वह कानून संवैधानिक है या नहीं। दूसरा मार्ग यह है कि संसद में ही उस कानून का संशोधन लाया जाए। सरकार द्वारा बनाए गए नागरिक संशोधन अधिनियम के विरुद्ध चल रहे आंदोलन से देश का एक बड़ा भाग ग्रसित है। अधिकतर सभी स्थानों पर हो रहे धरना, प्रदर्शन में महिलाएं व छोटे बच्चे भी सम्मिलित है। इन आंदोलनों में अब छात्रों के साथ छात्राएँ भी अधिकतर आगे है। जिसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया, दिल्ली विश्वविधालय, बीएचयू, पटना, कोलकाता तथा उत्तर–पूर्वी के विभिन्न

विश्वविद्यालयों सहित देश के तकनीकी संस्थानों तथा अन्य विश्वविद्यालयों के आंदोलन व धरना, प्रदर्शन में देखा जा रहा है। सभी स्तरों पर इस कानून को हटाने की मांग की जा रहीं है, परंतु स्थिति सामान्य होने के स्थान पर और अधिक बिगड़ती ही जा रही है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता व कार्यकर्ता भी देश के विभिन्न भागों में इस कानून का औचित्य बताने के लिए प्रदर्शन, सभा तथा जन, संपर्क कर रहे है, परंतु स्थिति संभल नहीं रही। गृहमंत्री ने तो स्पष्ट रूप से नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू करने की बात कही है। केरल व पंजाब ने तो विधानसभा से इस कानून का अनुपालन न करने का प्रस्ताव पारित कराया है और केरल सरकार तो इस कानून के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में भी गयी है। कांग्रेस की राज्य सरकारें तथा भाजपा के अलावा जो इस कानून के विरोध में है, तथा ममता सरकार तो प्रारम्भ से ही इसके विरोध में रही है।

लोगों का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जिस असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका कानून लागू किया गया है वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। 19 लाख लोग एन.आर.सी से पृथक है। सरकार के 1600 करोड़ खर्च हुए है और सामान्य जन को अपने कागजात ठीक करने में 800 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इसके साथ ही एन.आर.सी. से अलग हुए 13 लाख लोगों को असम में समायोजित करने के लिए नागरिक संशोधन अधिनियम लाया गया, और इसे सम्पूर्ण देश में लागू करने कि घोषणा की गयी। असम के नागरिक विवादास्पद राष्ट्रीय नागरिक पंजिका के बारे में चिंतित है। जिससे लोगों को भारतीय नागरिकों के रूप में सूचीबद्ध होने के वंशावली के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। फरवरी 2015 से अगस्त 2015 के मध्य असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा किए गए इस अभ्यास का अर्थ घुसपैठियों को बाहर निकालना था। 31 अगस्त को प्रकाशित नागरिकों की सूची में हिंदुओं सहित असम के लगभग 19 लाख निवासियों को सम्मिलित नहीं किया गया। उसी समय से भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रव्यापी एनआरसी की संभावना पर संकेत दिया है। अमित शाह ने अप्रैल में अवैध प्रवासियों को दीमक के रूप में संदर्भित किया है और नागरिकता अधिनियम को अब नियोजित राष्ट्रव्यापी एनआरसी के संदर्भ में देखा जा सकता जा रहा है।

कुछ टिप्पणीकारों ने एनआरसी की जातीय सफाई के साथ समानता की है। जहां निवासियों को उनके धर्मों के आधार पर रूपरेखित किया जा सकता है और रातों–रात उनकी नागरिकता छीन ली जा सकती है। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि मुसलमानों का बहिष्कार और एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी एक ही विचारधारा के उत्पाद है। बाहरी और घुसपैठियों के विरुद्ध मानसिक विक्षेप

दोनों में सुदृढ़ है। यद्यपि सरकार के अपने अनुमानों के अनुसार नागरिकता अधिनियम 31000 से अधिक लोगों की सहायता करेगा। इसके अतिरिक्त विरोध करने वालों का मानना है कि नए कानून का उपयोग मात्र भारतीय समुदायों विशेष रूप से हिंदुओं मुसलमानों के विरुद्ध ध्रुवीकरण करने के लिए किया जाएगा। 11 दिसम्बरए को नागरिकता संशोधन विधेयक को स्वीकृति मिलने से पूर्व 700 से अधिक कार्यकर्ताओं शिक्षाविदों व फिल्म निर्माताओं ने भारत सरकार को पत्र लिखकर इन दो प्रस्तावित क़ानूनों पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। उनके द्वारा यह कहा गया कि पहली बार कुछ धर्मों के लोगों को न केवल विशेषाधिकार देने का वैधानिक प्रयास किया गया है। अपितु एक ही समय में मुसलमानों को दूसरे स्थान पर पुनः आरोपित किया गया है। अतः उनके अनुसार नया कानून भारतीय संविधान के विरुद्ध भी गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों और अनुच्छेद 13ए 14ए 15ए 16ए और 21 का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष समानता व समानता का अधिकार तथा भारतीय राज्य द्वारा गैर.भेदभावपूर्ण उपचार की प्रत्याभूति प्रदान करता है।

इसके साथ ही 'एजेंडा आजतक कार्यक्रम' में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो भी एन.आर.सी. में सम्मिलित होने के योग्य नहीं है। उन्हें देश से बाहर भेज दिया जाएगा। उनकी घोषणा के बारे में पूछे जाने पर कि सरकार देश भर में एन.आर.सी. लागू करने जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिकों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए। किसी भी भारतीय को बाहर नहीं भजा जाएगा, साथ ही उन्होनें कहा में अल्पसंख्यकों को बताना चाहता हूँ कि उनके लिए व एन.आर.सी. के लिए तथा अन्य लोगों के लिए भी विशेष सुविधाएं होगीं। किंतु मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें अवैध प्रवासियों के लिए अपनी सीमाएं खुली रखनी चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह के अनुसारए जब भी एन.आर.सी. आएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी व्यक्ति को अन्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु किसी भी घुसपैठिये को नहीं छोड़ा जाएगा।

इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' के एक साक्षात्कार में कहा कि एन.आर.सी. को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और देश भर में एनआरसी को लागू करने से पूर्व राज्य सरकारों के साथ परामर्श सहित एक उचित कानूनी पाठ्यक्रम का पालन किया जाएगा।

♦♦♦♦♦

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन

गुरू तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली-110007